न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण GCMS NO 2022/114
दायरा तिथि : 05.04.2022
आदेश तिथि : 14-08-2024
प्रार्थीगण :–

1. गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह
3. राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सेणा

ब ना म

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांकः 14/8/024

प्रार्थीगण ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम–68 प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 749/1 रकबा 2.7200 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 749/869 रकबा 1.8900 हैक्टर में से प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा में लाल रंग से दर्शित ट्रेक से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt /17 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, नाना ने जांच कर पत्रांक/राजस्व/2023/6013 दिनांक 09.03.2023 से रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, नाना की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. यह कि ग्राम कोठार के खसरा नंबर 749/1 रकबा 2.7200 हैक्टर की भूमि प्रार्थीगण श्री गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा, जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी सेणा, राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी सेणा के नाम से संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। परंतु ग्राम कोठार के खसरा नंबर 749/1 रकबा 2.7200 हैक्टर की भूमि का आपसी सहमति से विभाजन किया हुआ होने से खसरे व रकबा का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	खसरा नंबर	रकबा	खातेदार नाम
1	874/749	0.8500 हैक्टर	राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी सेणा
2	873/749	0.8500 हैक्टर	जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी सेणा,
3	872/749	0.8500 हैक्टर	गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा
4	875/749	0.1700 हैक्टर	1. गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह 2. जितेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह 3. राजेन्द्रसिंह पुत्र गंगासिंह जातिगण राजपूत निवासीगण सेणा
योग		2.7200 हैक्टर	

2. खातेदार की धारित भूमि में प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
3. यह है कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल	नाम खातेदार
1	कोठार	749/869	1.8900 हैक्टर	बा.सो.	70X9= 630 वर्गमीटर	राजकीय सिवायचक राजस्थान सरकार

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

पेज लगातार.........02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : Gems No 2022/114

अनवान गंगा सिंह वगैरा बनाम सरकार

अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

4. यह कि प्रस्तावित भूमि ग्राम कोठार की डी.एल.सी. दर 130788/– रूपये प्रति हैक्टर है।
5. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में किसी प्रकार का कोई भी निर्माण/वृक्ष नहीं है एवं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति है।

प्रकरण मे तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई तथा रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण की संयुक्त रूप से खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन हो गया है। आपसी सहमति हुये विभाजन से बने नये खसरा नंबर 874/749, 873/749, 872/749, 875/749 है। तहसीलदार बाली द्वारा नये बने खसरा नंबर 875/749 में जाने हेतु रास्ता प्रस्तावित किया गया है। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण में वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् यह जाहिर है कि आवेदक की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 875/749 रकबा 0.1700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2023/6013 दिनांक 0.03.2023 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 875/749 रकबा 0.1700 हैक्टर की भूमि में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवायचक भूमि ग्राम कोठार पटवार हल्का कोठार तहसील बाली के खसरा नंबर 749/869 रकबा 1.8900 हैक्टर में से 630 वर्गमीटर रास्ता हेतु नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

खसरा नंबर	रकबा हैक्टर में	रास्ते के लिये प्रभावित क्षेत्रफल	डी.एल.सी. दर (प्रति व.मी.) रूपये	देय प्रतिकर राशि की डी.एल.सी. दर 130788/–रूपये प्रति हैक्टेयर से दुगुनी राशि	नाम खातेदार
749/869	2.8300	70X9=630 वर्गमीटर	14	8820X2= 17640	राजकीय सिवायचक भूमि राजस्थान सरकार

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार राशि 17640/– (अक्षरे सत्रह हजार छः सौ चालीस रूपये मात्र) रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राशि तहसील कार्यालय में जमा करवाई जायेगी। तहसीलदार बाली व निरीक्षक भू–अभि. नाना द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जायेगा।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री [illegible] विश्नोई)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

क्रमॉक/कोर्ट/2024/1039-1043
दिनांक : 14-08-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः–

1.तहसीलदार, बाली
2.निरीक्षक भू0अ0 नाना
3.पटवारी हल्का, कोठार
4.तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5.आवेदक गंगासिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली वगैरा को सूचनार्थ।

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

NIC-BHUNAKSHA

जिला : पाली

पटवारी हल्का : कोठार

तहसील : बाली

ग्राम : कोठार

दिनांक : 01/09/2022 11:31:28 AM

भू. अ. नि. क्षेत्र : नाना

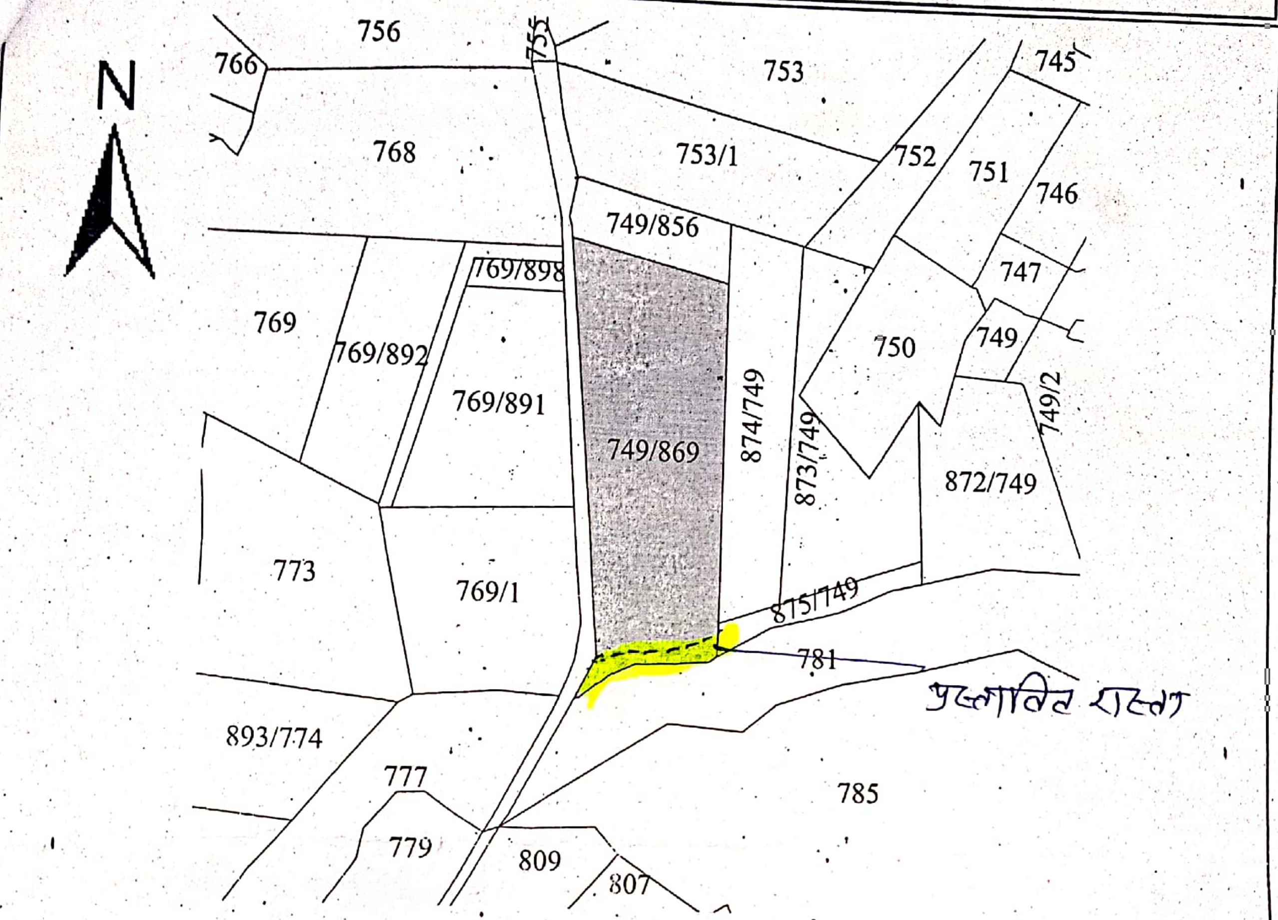

Scale 1:4000

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]:

ULPIN no : null

तहसीलदार,बाली

अंजणा कुमार

भू. अ. निरीक्षक.......नाना

तहसील – बाली (पाली)

Ex-Court

14/8/24

Scanned with CamScanner